अनुदान संख्या 48 – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
GRANT No. 48–DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	606,00,00	583,96,74	–22,03,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			10,50,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Sercretariat - Social Services		150.00	7.12	–142.88
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	56250.00	59400.00	58389.62	–1010.38
पु.	R.	3150.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	4200.00	..	..	..
पु.	R.	–4200.00			

(I) 4900.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4550.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.4900.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.4550.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" -

(A) Major Head "2210" –

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य व्यय - अनुसंधान अभिशासन को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन'' - 150.00 लाख रु.; और

(ख) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रोत्साहन, समन्वय और विकास'' - 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान नई स्कीमें शुरू न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली'' - 4200.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - स्वास्थ्य अनुसंधान विकास'' के अंतर्गत 142.88 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए सृजित विभाग के लिए अलग स्थापना न बनाए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''लोक स्वास्थ्य - प्रशिक्षण - औषधि और स्वास्थ्य में अनुसंधान''- 145.00 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई स्कीमें शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 165.38 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का 84 प्रतिशत और 90 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - भारतीय चिकित्सा

(a) "Urban Health Services – Allopathy - Other Expenditure – Promotion and Guidance on Research Governance" – Rs.150.00 lakhs; and

(b) "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Promotion, Co-ordination and Development of Health Research" – Rs.200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-taking off of the new schemes.

(B) Major Head "2552" – "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Indian Council of Medical Research, New Delhi" – Rs.4200.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Department of Health Research" – saving of Rs.142.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non-setting up of a separate establishment for the newly created department.

(III) Under Major Head "2210" – "Public Health – Training – Research in Medicine and Health" – saving of Rs.145.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non-taking off of the new schemes.

(IV) Under two heads savings of Rs.165.38 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 84 percent and 90 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2210" – "Medical Education, Training and Research - Allopathy –

अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 3150.00 लाख रु. का अधिक व्यय (55200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi" – excess of Rs.3150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.55200.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.